राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः–एफ.2 (क)/नोटिस/2017–18/306 दिनांक– 30/5/18

कार्यमुक्ति आदेश

निदेशालय, कोष एवं लेखा द्वारा जारी **स्थानान्तरण** आदेश दिनांक 24.12.2017 द्वारा श्री सुखदेव लाल (लिंक नम्बर 5205), सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–। का स्थानान्तरण विकास अधिकारी, पंचायत समिति, मण्डोर, जोधपुर से नगर निगम, जोधपुर किया गया था किन्तु निदेशालय को प्राप्त सूचना के अनुसार श्री सुखदेव लाल द्वारा आदिनांक तक नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है। उक्त के सम्बन्ध में श्री सुखदेव लाल को निदेशालय की वेवसाईट के जरिये इस निदेशालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 08.01.2018 एवं 01.02.2018 द्वारा भी तत्काल कार्यग्रहण करने हेतु निर्देशित किया गया है।

श्री सुखदेव लाल को तत्काल उनके वर्तमान कार्यालय से **दिनांक 30.05.2018 मध्याह्न पश्चात एतद् द्वारा कार्यमुक्त किया जाता है** तथा निर्देश दिये जाते हैं कि श्री सुखदेव लाल नवीन पदस्थापन स्थान पर नियमानुसार कार्यग्रहण कर ईमेल–jdp1-ta-rj@nic.in/दूरभाष संख्या 0141–2744134 पर इस निदेशालय को सूचित करावें।

उक्त के अतिरिक्त श्री सुखदेव लाल को **निर्देश** दिये जाते है कि निदेशालय के स्थानान्तरण आदेशों एवं तत्पश्चात जारी तत्काल कार्यमुक्त होने सम्बन्धी आदेशों की पालना आदिनांक तक नहीं किये जाने के सम्बन्ध में **कारणों सहित अपना स्पष्टीकरण** 3 कार्यदिवसों के अन्दर निदेशालय को पत्र/ईमेल के माध्यम से प्रेषित करावें अन्यथा नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही भी प्रारम्भ कर दी जायेगी, सूचित रहें।

(मंजुला वर्मा)
निदेशक

क्रमांकः–एफ.2 (क)/नोटिस/2017–18/306 दिनांक– 30/5/18

प्रतिलिपि–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, मण्डोर, जोधपुर को भेजकर लेख है कि सम्बन्धित लेखाकर्मी को नवपदस्थापन विभाग/कार्यालय में कार्यग्रहण करने हेतु तत्काल कार्यमुक्त करें।
2. नगर निगम, जोधपुर।
3. श्री सुखदेव लाल, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–।, कायोलय–विकास अधिकारी, पंचायत समिति, मण्डोर, जोधपुर।
4. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

(अरविन्द दीवान)
अतिरिक्त निदेशक(कार्मिक–I)